भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2017**

11 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

**इस्पात उत्पादन**

**2017. सुश्री कंगना रनौत:**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय भारत के इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य में किस प्रकार सहायता करने की योजना बना रहा है;

(ख) सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और छोटे इस्पात उत्पादकों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में किस प्रकार सहायता करेगी; और

(ग) इस्पात संयंत्रों के लिए ग्रीन स्टील और संवहनीयता की भावी रूपरेखा में क्या भूमिका होगी?

**उत्तर**

**इस्पात राज्य मंत्री** **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) और (ख): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार कर एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती है। सरकार ने कच्चे माल की सुरक्षा में सुधार करने, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ाने, आयात निर्भरता कम करने और इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के भारत के लक्ष्य में सहायता करने और एमएसएमई, छोटे इस्पात उत्पादकों की मदद करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

i. 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देना और निवेश बढ़ाना:-

क. सरकारी अधिप्राप्ति हेतु 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।

ख. देश के भीतर 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत की गई। विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना के तहत अनुमानित अतिरिक्त निवेश 27,106 करोड़ रुपये है, जिससे लगभग 24 मिलियन टन की डाउनस्ट्रीम क्षमता का सृजन होगा और 14,760 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

जारी....2/-

ग. केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2024-25 में घोषित 11,11,111 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय से अवसंरचना विस्तार को बल मिला है, जिसके परिणामस्वरूप इस्पात की खपत में वृद्धि हुई है।

ii. कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार और कच्चे माल की लागत को कम करना:-

क. कच्चे माल फेरो निकेल पर मूलभूत सीमा शुल्क को 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करना, और इसे शुल्क मुक्त बनाना।

ख. बजट 2024 में फेरस स्क्रैप पर शुल्क छूट को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाना।

ग. घरेलू स्तर पर उत्पादित लौह स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

iii. आयात निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण:-

क. घरेलू इस्पात उद्योग को आयातों पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आयातों की प्रभावी निगरानी हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) में सुधार।

ख. उद्योग, उपयोगकर्ताओं तथा आम जनता को गुणवत्तापूर्ण इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को लागू करना जिससे घरेलू बाजार के साथ-साथ आयात में घटिया/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया जा सके। आदेश के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाता है कि अंतिम उपयोगकर्ताओं को केवल प्रासंगिक बीआईएस मानकों के अनुरूप गुणवत्ता वाले इस्पात ही उपलब्ध कराए जाएं। आज की तारीख तक, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत कार्बन स्टील, मिश्रधातु इस्पात तथा स्टेनलेस स्टील को कवर करते हुए 151 भारतीय मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(ग) इस्पात मंत्रालय ने 'ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया: रोडमैप एडं एक्शन प्लान' शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है जो वर्ष 2070 तक निवल-शून्य लक्ष्य की दिशा में ग्रीन स्टील और संवहनीयता के लिए भावी रूपरेखा प्रदान करता है।

*****